

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1223/2012/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिव टायर, आकरा भट्टा, आबूरोड

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या-1224/2012/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शांति टायर, आकरा भट्टा, आबूरोड

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री बंधीधर अग्रवाल

अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 02.08.2017

निर्णय

1. उक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी-विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 204 एवं 205/आरवेट/जालौर/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित आदेशों में निम्नानुसार कायम मांग राशियों में कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलें अपास्त की एवं प्रत्यर्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार की गई।
2. उक्त दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. उक्त प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने खरीद पर इनपुट क्लेम किया परन्तु उक्त खरीद राशि में से discount and rebate on purchase कम करके शेष राशि को ही व्यापार खाते/अंकक्षण प्रतिवेदन में खरीद राशि के रूप में दर्शाया है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को उक्तानुसार प्राप्त छूट को ex post facto छूट मानते हुए उक्तानुसार कम दर्शायी गयी खरीद के अनुपात में इनपुट राशि को रिवर्स करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की

लगातार.....2.

Dr. S. K. Singh
02/08/17

गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर, आरोपित रिवर्स कर व ब्याज को अपास्त किया एवं शास्ति को यथावत रखा, आरोपित रिवर्स कर व ब्याज को अपास्त करने के आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा उक्त दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

क्र.सं.	अ.सं.	कर नि. वर्ष	रिवर्स कर	ब्याज
1	204	08-09	82,386	21,940
2	205	08-09	12,251	3,862

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बतलाया एवं तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कमीशन/डिस्काउण्ट विक्रेता व्यवहारी से पश्चातवर्ती में प्राप्त किया है अतः ex post facto प्राप्त राशि विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय मूल्य में समाहित होगी परन्तु व्यवहारी ने उक्त राशि को खरीद में से कम किया जाकर विक्रय राशि कम दर्शायी है एवं इस प्रकार करवचंन की गई है अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी की ओर विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा समस्त माल वेट इनवाइस से क्रय किया है तथा कम्पनी के एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष के अन्त में टर्न ओवर के आधार पर डिस्काउन्ट/कमीशन देती है। प्रत्यर्थी ने वेट इनवाइस के आधार पर अपने खरीद मूल्य के अनुसार उस पर 12.5 प्रतिशत से कर चुकाया है। सशक्त अधिकारी ने नोटिस जारी करे बिना ही टर्न ओवर को ex post facto छूट मानकर धारा 2(36) के तहत tax reverse किया है, जबकि धारा 2(36) के प्रावधान प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होते हैं। इनपुट टैक्स रिवर्स करने के प्रावधान धारा 18 की उपधारा 3 (1 to V) में उल्लेखित है, प्रत्यर्थी का मामला उक्त धारा से आच्छादित नहीं है। धारा 18(2) में यह स्पष्ट है कि खरीद वेट इनवाइस के अनुसार इनपुट क्रेडिट ली जायेगी। प्रत्यर्थी द्वारा यह क्रेडिट वेट इनवाइस एवं वेट 07 विवरण पत्रों के अनुसार ली गई है। प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रावधानों को उल्लंघन नहीं किया गया है अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

Amrinder
02/08/17

लगातार.....3.

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट जरिये क्रेडिट नोट प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर आरोपित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(36) "Sale Price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;


8. प्रकरण में व्यवसायी ने अपने व्यापार खातों में विक्रेताओं द्वारा जारी क्रेडिट नोट से डिस्काउण्ट की राशि को कम करके खरीद मूल्य दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने शुद्ध खरीद पर ही आई.टी.सी. स्वीकार करते हुए अधिक ली गई आगत कर को रिवर्स किया है। अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार रिवर्स कर तभी किया जा सकता है, जब अधिनियम की धारा 18(1) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन हो। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा धारा 18(1) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3A) दिनांक 09.03.2011 से नया प्रावधान जोड़ने से विधि निर्माताओं की इस आशय की मंशा स्पष्ट हो जाती है। तदनुसार दिनांक 09.03.2011 के पश्चात आगत कर राशि, निर्गत कर से अधिक देय नहीं हो सकेगी। खरीद पर प्राप्त कमीशन/डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता है।
8. माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय (2013) 35 Tax Update Page 29 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ए, अलवर बनाम मै. आर.एस. टायर हाऊस अलवर में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी ने माल का प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउण्ट प्राप्त किया है एवं जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण II के प्रावधान लागू किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात किसी प्रकार का कोई डिस्काउण्ट/रिवेट/ कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में

लगातार.....4.

Ansul
02/08/17

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, न कि विक्रय मूल्य पर। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को स्वतः से बढ़ाया जाकर करारोपण विधि सम्मत नहीं है। माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’ उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘सी’ जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रॉनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम-1 पार्ट-1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के अलौच्य निर्णय दिनांक 12.12.2011 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 12.12.2011 की पुष्टि की जाती है तथा अपीलीर्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य